उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-53/2017/598/92-2-17-44जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 19 अप्रैल, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से संबंधित कार्यो में बरती गयी उदासीनता, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कराये गये कार्य तथा कार्यो का अत्यधिक शिथिल नियंत्रण किये जाने के कारण मार्गो की हुई खराब स्थिति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-03मं0आ0/92-2014-44जांच/2014 दिनांक 06-06-2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री मो0 रिजवान साबिर के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक जांच में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3635/92-2014-44जांच/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-28/33मं0आ0/92-2014-44जांच/2014 दिनांक 26-11-2014 द्वारा श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति निलम्बित) को तत्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

4- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र संख्या-2003/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/जांच-अनु0कार्य0/अधि0अभि0/2016 दिनांक 01.08.2016 द्वारा अपनी जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1451/92-2-2016-44जांच/2014 दिनांक 08.09.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में अपचारी अधिकारी ने पत्रांक-485/ग्रा0अ0वि0/स्था0/ व्य0पत्रा0/2016-17 दिनांक 03.10.2016 द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन को उपलब्ध कराया गया।

5- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उदासीनता बरतने, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कार्य कराने तथा कार्यो का अत्यधिक शिथिल नियंत्रण किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये। अत: श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया सम्प्रति पी0आई0यू0-ललितपुर द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत परिनिन्दा प्रविष्टि देते हुये कार्यलय ज्ञाप संख्या-03मं0आ0/92-2014-44जांच/2014 दिनांक 06-06-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" जनपद बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में उदासीनता बरतने, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कार्य कराने तथा कार्यो का अत्यधिक शिथिल नियंत्रण किये जाने हेतु श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया सम्प्रति पी0आई0यू0-ललितपुर को परिनिन्दा प्रविष्टि दी जाती है। उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि वर्ष 2017-18 के लिये मानी जायेगी।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-53/2017/598(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0 आई0यू0-1/2,प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0 आई0यू0-1/2,प्रखण्ड-बलिया सम्प्रति पी0आई0यू0-ललितपुर की चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।